

कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

माल निर्धारण वाद संख्या.....०१...../2022-23


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक-772 दिनांक-23.11.2022 द्वारा आवेदक चन्द्र किशोर मिश्रा वगै० पिता स्व० कृष्णानन्द पाण्डेय, साकिन-पथलडीहा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह के आवेदन के आलोक में निम्नलिखित भूमि का माल निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।


मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
पथलडीहा	102	35	1299	रकवा-13 डी० टांड ॥
पथलडीहा	102	35	1300	रकवा-11 डी० टांड ॥

अतः पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 14/12/22

को रखे।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

श्री क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>14/12/22</p> <p>28/12/22</p>	<p>अभिलेख उपर्युक्त। प्रथम पक्ष बकायतन होजिए। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 28/12/22 को रखा।</p> <p>प्रथम पक्ष बकायतन होजिए। द्वितीय पक्ष अनु०।</p> <p>अंचल आधिकारी, बगोदर से निर्मांकित भूमि के माल निर्धारण का पहला चरण हुआ है :-</p> <p>ग्राम - पधलडीहा धाना सं० - 102 धाना - बगोदर</p> <p>(1) खाना - 35 एखार - 1299, रकबा - 13 बी. किस्म जमीन - टांड - दो, सर्वे रैयत - हरवंश पाठेय, वर्तमान दरबल कार रैयत - चन्द्र किशोर मिश्र पाठेय, राज किशोर मिश्र एवं विजय कुमार मिश्र.</p> <p>(2) खाना - 35, एखार - 1300, रकबा - 11 बी. किस्म जमीन - टांड - II, सर्वे रैयत - हरवंश पाठेय, वर्तमान दरबल कार रैयत - चन्द्र किशोर मिश्र, राज किशोर मिश्र एवं विजय कुमार मिश्र</p> <p>अंचल आधिकारी बगोदर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि वर्तमान रैयत को उक्त</p>	

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>भूमि उनके दादा कोर्ट फाउंडेशन पिता हरवंश फाउंडेशन को बेचारा केस नं. - 7/2 वर्ष - 1956-57 के द्वारा हासिल है तथा वर्तमान आवेदक वर्तमान में उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल कार है।</p> <p>सम्बन्धित पदाधिकारी से तथा आम इशतहार के माध्यम से आपत्ति मोगी गई थी, परन्तु निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई।</p> <p>अंचल अधिकारी, बगोदर की अनुशांसा तथा आपत्ति के अभाव में पञ्जाब भूमि का माल निर्धारण 10 दू. प्रति एकड़ की दर से किया जाता है। जगान जमोदारी उन्मूलन की विधि से देय होगा।</p> <p>आदेश के साथ मूल अभिलेख अंचल अधिकारी बगोदर को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">  <u>LR De.</u> </p>	